



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

(Email : dlsa32sakar@gmail.com. Ph/fax- 01572-294048)

--:संशोधित कार्यालय आदेश--

क्रमांक:- 5142

दिनांक:- 8/9/21

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों एवं अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर की आदेशानुसार दिनांक 11.09.2021 को द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय पर गठित बैंच संख्या 2, 8 एवं 9 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

बैंच संख्या	अध्यक्ष	रादस्य अधिवक्ता	संबंधित प्रकरण
1. pre-Liti. + pending	श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता, (आर.जे. एस.) बैठक स्थान- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर	श्री भवानी सिंह जेठरी, अधिवक्ता	न्यायालय डीजे एव बैंक ऑफ बडोदा स्टेशन रोड, सालासर रोड, एवं पिपराली, सीकर, इंडसलैंड बैंक, एस.वी.आई, स्टेशन रोड, एचडीएफसी, बैंक, बी.एस.एन.एल. सीकर एवं एस.के. फाईनेंस आदि से संबंधित समस्त प्रि-लिटिगेशन प्रकरण
Pending Cases Bench			
1.	श्रीमती अर्चना मिश्रा, (आर.जे. एस.) बैठक स्थान- एम.ए.सी. सी., सीकर	श्री संदीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता	न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा संदर्भित प्रकरण
2.	श्री कैलाश चन्द्र अठवासियां (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- पारिवारिक न्यायालय, सीकर	श्री वृजेन्द्र रूलानिया, अधिवक्ता	पारिवारिक न्यायालय, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
3.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा, (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- न्यायालय एडीजे क्रम-1, सीकर	श्री मुजप्फर खान, अधिवक्ता	न्यायालय एडीजे-1 सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
4.	श्री भैरू लाल चन्देल, (आर.जे. एस.) बैठक स्थान- न्यायालय, एडीजे क्रम-2, सीकर	श्री केशर देव बोरान, अधिवक्ता	न्यायालय एडीजे-2, एडीजे-3 एवं एडीजे-4 सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
5.	श्रीमती सानिया हाशमी (आर.जे. एस.) बैठक स्थान- सीजेएम, कोर्ट, सीकर	श्री नरेन्द्र फगेड़िया, अधिवक्ता	न्यायालय सीजेएम, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
6.	श्रीमती नीलम करवा (आर.जे. एस.) बैठक स्थान- एसीजेएम कोर्ट, सीकर	श्री अंगद कुमार तिवाड़ी, अधिवक्ता	न्यायालय एसीजेएम, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
7.	श्री मुकुल गहलोत, (आर.जे.एस.) बैठक स्थान - जेएम, कोर्ट, सीकर	श्री शिशराम डमोलिया, अधिवक्ता	न्यायालय जेएम, सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
8.	श्रीमती सोनिया, (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- जेएम क्रम-1, कोर्ट, सीकर	श्री गंगाधर सैनी, अधिवक्ता	न्यायालय न्यायालय जेएम-1 सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
9.	श्री उदय सिंह अलोरिया,, (आर.जे.एस.) बैठक स्थान- जेएम-2, कोर्ट सीकर	श्री महेश कुमार पटेल, अधिवक्ता	न्यायालय जेएम-2 सीकर द्वारा संदर्भित प्रकरण
10.	सुश्री पायल अग्रवाल (आर.जे. एस.) बैठक स्थान- ग्राम न्यायालय, कुडली	श्री राजेन्द्र प्रसाद जागिड़, अधिवक्ता	ग्राम न्यायालय कुडली द्वारा संदर्भित प्रकरण

आवश्यक निर्देश -

- उक्त बैंच उक्तानुसार न्यायालयों/विवादों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई उक्तानुसार निर्धारित स्थान पर करेगी।
- रालसा के निर्देशानुसार बैंच में मुख्य रूप से एक स्टेनो, एक कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाला कनिष्ठ लिपिक व एक सहायक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जा सकती हैं। आवश्यकता

हो तो एक रीडर की भी ड्यूटी लगाई जा सकती हैं। किन्तु यदि बैंच अध्यक्ष अधिक आवश्यकता महसूस करे तो वह किसी अन्य लिपिक/वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी इस कार्यालय को अनुमोदन पश्चात् लगाई जा सकती हैं। साथ ही जिस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की पृथक से कोई लोक अदालत बैंच का नहीं बनायी गयी हैं, परन्तु उनके न्यायालय के रैफर प्रकरण अन्य बैंच में रखे गये हैं। उक्त पीठासीन अधिकारी न्यायालय के किसी एक कनिष्ठ लिपिक (यथासंभव कम्प्यूटर कार्य में सक्षम) की ड्यूटी उस न्यायालय से संबंधित बैंच को पत्रावलियां संभालाने, राष्ट्रीय लोक अदालत संबंधी कार्य एवं सीआईएस अपडेशन हेतु लगायें।

3. राष्ट्रीय लोक अदालत में ड्यूटी देने वाले कर्मचारिगण की ड्यूटी संबंधी सूचना पीठासीन अधिकारी दिनांक 08.09.2021 तक एवं ड्यूटी देने वाले कार्मिकों के एक दिवस के मानदेय संबंधी सूचना दिनांक 13.09.2021 तक संबंधित प्रारूप में इस कार्यालय को भिजवायें ताकि समय पर मानदेय का भुगतान समय पर किया जा सकें।
4. संबंधित बैंच अध्यक्ष निर्धारित प्रारूप में निस्तारित प्रकरणों की सूचना दिनांक 11.09.2021 को समय 01:00 पीएम एवं पूरे दिन निस्तारित हुए प्रकरणों की अंतिम सूचना समय 03:30 पीएम तक (यदि संभव हो तो) आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवायें।
5. जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों द्वारा लोक अदालत बैंच में रखे गये प्रकरणों की पत्रावलियां, सम्बंधित बैंच को दिनांक 10.09.2021 को वादसूची के मुताबिक सूचीबद्ध तरीके से संभलायें एवं लोक अदालत के समापन के पश्चात् बैंच पत्रावलियां सूचीबद्ध तरीके से संबंधित न्यायालय को सम्भलायें।
6. संबंधित न्यायालय द्वारा लोक अदालत में रखे गये प्रकरणों की वाद सूची कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को दिनांक 10.09.2021 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
7. प्री-लिटिगेशन बैंच के पीठासीन अधिकारी सफल एवं असफल पत्रावलियों पर ऑर्डरशीट लोक अदालत के दिन ही लिखवाया जाना सुनिश्चित कराएंगे तथा पत्रावलियां भी लोक अदालत के दिन ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को सुपुर्द करवाया जाना सुनिश्चित कराएंगे।
8. राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी प्रकरण राजीनामे के माध्यम से निस्तारित होंवे उन्हें उसी दिन **NJDG/CIS System** पर निस्तारित की श्रेणी में दर्ज किया जावें तथा जो प्रकरण कॉजलिस्ट में शेष रहें उनको भी पत्रावली में दी गई आगामी तारीख पर दर्ज करवा दिया जाए ताकि कोई भी प्रकरण अन-डेटेड न रहें।

नोट:—राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्यता से किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

सीकर

दिनांक 8/9/21.

क्रमांक 5143-5181

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 संबंधित बैंच अध्यक्ष श्री/श्रीमति.....
- 2 संबंधित बैंच सदस्य श्री/श्रीमति
- 3 समस्त मुख्यालय स्थित न्यायालय.....
- 4 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सीकर
- 5 कोर्ट मैनेजर/सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 6 रक्षित पत्रावली

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

सीकर